न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2013

1 नन्दलाल पुत्र स्व. जोधाराम
2 सुभाष पुत्र स्व. जोधाराम
3 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जोधाराम
4 मु. मोहरी देवी पत्नी स्वं. जोधाराम
जाति समस्त जाट निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5 मु. शांति देवी पुत्री स्व. जोधाराम पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी चिड़ासन तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 मु. परमेश्वरी देवी पुत्री स्व. जोधाराम पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी बड़सरा की ढाणी तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 हरिकिशन पुत्र स्व. जोधाराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। दौराने अपील मृतक
1/1 कमली पत्नी
1/2 संदीप पुत्र
1/3 चरणसिंह पुत्र
1/4 शिवकुमार पुत्र
1/5 अनिता पुत्री
स्व. हरिकिशन जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/6 कविता पत्नी विक्रम सिंह पुत्री स्व. हरिकिशन जाति जाट निवासी गुढ़ाबावनी, खरबासा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा
उनवानी हरिकिशन बनाम नन्दलाल वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा मु.नम्बर 26/2012 ता. आदेश 19.06.2013

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2012 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट हरिकिशन ने अपीलान्टस के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 165, 166, 217, 218, 220, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 5.37 हैक्टेयर सरहद मौजा जयसिंहपुरा तहत तहसील नवलगढ़ के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 19.06.2013 के द्वारा स्वीकार कर अपीलान्टस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 24

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने काउन्टर टी.आई पेश की थी। अपीलान्टस की काउन्टर टी.आई. का जबाब भी पेश हुआ था। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की काउन्टर टी.आई. के बाबत निर्णय जेर बहस में कोई भी तथ्य दर्ज नहीं किये है और काउन्टर टी.आई. पर कोई आदेश भी पारित नहीं किया है। कानून से विचारण न्यायालय को रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के साथ ही अपीलान्टस की काउन्टर टी.आई. पर भी विधिनुकुल तरिके से निर्णय पारित करना चाहिए था, इस प्रकार आदेश जैर बहस अवैध है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्अ हरिकिशन स्व. जोधाराम के वारिस है। अपील में वर्णित आराजियात में जोधाराम 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपने जीवनकाल में रहा। उपरोक्त 1/2 हिस्से के टिनेन्सी राईटस उतराधिकार में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट तथा मु. प्रभाती को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुए। स्व. जोधाराम की शादी पहले मु. लाडो देवी से हुई थी। उक्त लाडो देवी के नुत्फे से जोधाराम के रेस्पोडेन्ट हरिकिशन व मु. प्रभाती पेदा हुऐ। लाडो देवी का देहान्त हो गया। लाडो देवी के देहान्त होने पर जोधाराम ने अपीलान्ट संख्या 4 मु. मोहरी देवी से विवाह किया। उक्त मोहरी देवी के नुत्फे से अपीलांट संख्या 1 से 3 व अपीलान्ट संख्या 5, 6 संतान पैदा हुई। जोधाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन नामान्तकरण की कार्यवाही गलत रूप से रेस्पोडेन्ट हरिकिशन अकेले के नाम की गई। उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही को अपीलान्टस ने सक्षम न्यायालय में किया जो आज भी लंबित है। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के यहां प्रार्थनापत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह तथ्य दर्ज किया कि ग्राम दुड़िया में कोई जोधाराम वल्द भानाराम नामक व्यक्ति था और यह प्लीड किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम भी जोधाराम वल्द भानाराम था और यह प्लीड किया कि उपरोक्त नाम की समानता होने से अपीलान्टस विवाद कर रहे है। रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को साबित नहीं किया कि जोधाराम वल्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भानाराम निवासी दुड़िया व जोधाराम वल्द भानाराम निवासी जयसिंहपुरा अलग–अलग व्यक्ति थे। पूर्वज के बाबत विवाद होने पर विवाद को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो पूर्वज के तथ्य को इन्कार करता है। ग्राम दुड़िया में जोधाराम ने जमीन क्रय की थी। ग्राम दुड़िया की जमीन जोधाराम की मृत्यु होने के बाद विरासत के आधार पर हरिकिशन के नाम की दर्ज हुई है। उक्त ग्राम दुड़िया के राजस्व रिकार्ड को रेस्पोडेन्ट ने चुनौती नहीं दी है। ग्राम दुड़िया में हरिकिशन पुत्र जोधाराम नामक अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्लीड कर रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। जोधाराम की मृत्यु होने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत बड़वासी ने नामान्तकरण संख्या 338 जमीन जैर बहस के बाबत अकेले रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकार किया जिसके बाबत अपीलान्टस ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहां अपील संख्या 02/05 उनवानी मोहरी देवी वगे. बनाम हरिकिशन वगै. प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 26.04.2006 के द्वारा स्वीकार हुई और उक्त नामान्तकरण संख्या 338 दिनांकित 27.01.97 को निरस्त किया गया तथा पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय जयपुर के यहां अपील संख्या 09/2006 उनवानी हरिकिशन बनाम मोहरी देवी प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 31.05.2008 के द्वारा निरस्त की गई। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 26.04.2006 में दिये गये दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्यवाही कर नामान्तकरण अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट तथा मु. प्रभाती देवी के नाम स्वीकृत करने का आदेश नायब तहसीलदार नवलगढ़ ने निर्णय दिनांक 17.09.2006 को दिया। नायब तहसीलदार नवलगढ़ के उक्त निर्णय को रेस्पोडेन्ट ने चैलेन्ज कर रखा है जो वर्तमान मे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अदालत में लंबित है। उपरोक्त तमाम तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने प्लीड किये और समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई। अपीलान्टस जोधाराम के वैध वारिस है। अपीलान्टस का जमीन जैर बहस पर हक हिस्सा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व कब्जा काश्त है। उपर वर्णित अनुसार जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड गलत है। अपीलान्टस का प्राईमाफेसी केस है। सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु भी अपीलान्टस के पक्ष में है। इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने बिना माईण्ड अप्लाई किये आदेश जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (1) पेज 589, आरएलडब्ल्यू 2005(2) राज पेज 242, आरआरटी 2007(2) पेज 945, आरएलडब्ल्यू 2001 (3) एससी पेज 440, आरबीजे 2010 पेज 611 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में होना है। इससे पूर्व आवेदक के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने के लिए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर अपीलांट को पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट की ओर से काउंटर टीआई प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किए बिना, काउंटर टी.आई पर कोई निर्णय पारित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि टी.आई. एवं काउंटर टीआई पर उभयपक्ष को सुनकर तीनों बिन्दुओं पर विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)